निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र 1934 (शo)

(सं0 पटना 479) पटना, बुधवार, 12 सितम्बर 2012

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

8 अगस्त 2012

सं0 22 / नि0सि0(सिवान)11–04 / 2010 / 895—श्री पारस नाथ राय, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुठनी को अपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना, अनुशासनहीनता बरतना एवं अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत समुचित रूप से पटवन नहीं कराने आदि आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–738 दिनांक 7.5.10 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297 दिनांक 3.9.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी भगेडू प्रवृति के है और उन्हें परवाह नहीं है कि उनका कार्य हर्ज होगा या उनका प्रभार किसे दिया जायेगा। वे जब चाहते है, छुट्टी का आवेदन देकर भाग जाते है । विभागीय पदाधिकारियों ने भी इन्हें काफी इनडलज किया है, इन्हें घटनोत्तर स्वीकृति दे देकर इनकी अनुशासनहीनता बढ़ा दी है।

अतः श्री राय को ''निन्दन'' की सजा देते हुए ''भविष्य के लिए सतर्क रहने'' तथा निलंबन से मुक्त करने एवं ''निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी'' का दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–641 दिनांक 1.6.11 द्वारा श्री राय को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया गया–

(1) ''निन्दन'' वर्ष 2009–10

(2) भविष्य के लिए सतर्क किया जाता हैं

(3) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी।

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री राय द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 27.6.11 समर्पित किया गया जिसमें श्री राय द्वारा निम्नांकित बातों का उल्लेख किया हैः–

(1) मुझे उच्चाधिकारियों द्वारा कभी कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है जिसका अनुपालन मेरे द्वारा नहीं किया गया है।

(2) मैंने अपने दायित्वों के निर्वहन में सदैव तत्पर रहा हूँ।

(3) मैंने कभी अनुशासन नहीं तोड़ा है।

(4) सुखाड़ के कारण चांदपुर वितरणी में उपर के अवर प्रमण्डल से समुचित मात्रा में जल प्राप्त नहीं होने से सिंचाई उपलब्धि कम हुई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

श्री राय से प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। श्री राय द्वारा अपील अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी को दिये गये अपने बचाव बयान में किये गये थें।

निरीक्षण के दौरान कार्य स्थल से दिनांक 3.8.09, 8.8.09 एवं दिनांक 24.8.09 को अनुपस्थित रहने का प्रमाण कार्यपालक अभियन्ता, गंडक योजना, मैरवा के पत्र सं0–435 दिनांक 26.5.10 के अवलोकन से मिलता है जिनकी स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता द्वारा आकस्मिक अवकाश के रूप में दी गई है।

अधीक्षण अभियन्ता, सारण अंचल, सिवान ने मुख्य अभियन्ता, को भेजे गये अपने पत्रांक 82 दिनांक 19.1.10 में उल्लेख किया है ''श्री राय, कनीय अभियन्ता अपने दायित्वों के निर्वहन, अनुशासन एवं उच्चाधिकारियों के आदेशोपालन में सफल नहीं है। चांदपुर वितरणी में समुचित रूप से पटवन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इनके विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु अनुशंसा किया जाता है।''

मुख्य अभियन्ता, सिवान ने भी श्री राय के विरूद्व उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना, अनुशासनहीनता बरतना एवं अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत चांदपुर वितरणी में समुचित रूप से पटवन नहीं कराने के फलस्वरूप अपने पत्रांक 438 दिनांक 16.2.10 द्वारा उनके विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ–साथ उनका स्थानान्तरण अन्यंत्र करने की अनुशंसा की है।

श्री राय के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रमाणित है क्योंकि ये आरोप वाहय श्रोतों से प्राप्त नहीं हुए है बल्कि उनके वरीय पदाधिकारियों द्वारा लगाये गये है।

वर्णित स्थिति में श्री राय से प्राप्त अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री राय से प्राप्त अपील अभ्यावेदन दिनांक 27.6.11 को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त निर्णय श्री राय को संसूचित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अफजल अमानुल्लाह,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 479-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in